07/09/22 पत्रावली आज वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर खारिज। वादी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान में आपसी समझौता हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। विद्वान न्यायालय से अनुमति प्रदान करें। अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ती करने योग्य। सायंकाल पश्चात

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested